न्यायालय ए0एच0गौरी, आरएएस, कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

अपील सं0 08/2018

गंगाराम पुत्र अमानाराम जाति कुम्हार निवासी गिरांधी तहसील कोलायत जिला बीकानेर — अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान जरिये तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु0 कोलायत — रेस्पोडेन्ट

अपील बनाराजगी इन्तकाल संख्या 1701 दिनांक 13–6–2017 ग्राम गिरांधी उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0 कोलायत द्वारा पुख्ता आवंटन का खारिज फरमाया गया बमुराद मंसुखिया उपरोक्त आदेश व स्वीकार कर अपील नामान्तरकरण दर्ज करने अपीलांट अपील मंजूर करने।

उपस्थिति अभिभाषक :–

1. श्री हरिराम विश्नोई अभिभाषक, अपीलांट।
2. पेरोकार राज राज्य की ओर से।
3.

–: निर्णय :–

दिनांक :– 02–04–2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अधीन उपनिवेशन तहसील गजनेर मु0 कोलायत के इंतकाल सं0 1701 दिनांक 13–06–2017 ग्राम ग्रान्धी के विरूद्ध दिनांक 27–02–2018 को प्रस्तुत की गई है।

सम्बन्धित न्यायालय हाजा का मूल रिकार्ड तलब किया जाकर मांगवाया गया तथा रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। राज्य की ओर से पैरोकारराज उपस्थित आये।

2 संक्षेप में प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रोही ग्रान्धी स्थित खसरा नम्बर 666 तादादी 50 बीघा बारानी भूमि का अस्थाई आवंटन सन 1977–78 मे किया गया। उक्त अस्थाई आवंटन की समस्त राशि एक मुश्त दिनांक 26–03–2008 को जमा करवा दी गई। तब दिनांक 17–04–2015 को आवंटन सलाहकार समिति से अपीलांट को उक्त अस्थाई आवंटन पुख्ता कर दिया गया।

3 जैर अपील पुख्ता आवंटन का अपीलांट के नाम नामान्तरकरण भरकर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 02–07–2016 को पेश हुआ जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक बज्जू द्वारा दिनांक 14–07–2016 का मिलान किया अंकन सही है का नोट अंकित करने के बाद तहसीलदार उपनिवेशन द्वारा एक वर्ष उक्त नामांतरकरण स्वीकृत नही किया गया। तब अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिनांक 13–06–2017 को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार मे दिनांक 13–06–2017 को प्रस्तुत करने पर पटवारी हल्का कैम्प मिठडिया मे पेश होने पर उसी गिरदावर द्वारा पुनः आवंटन पुष्टि के बाद पेश करे आवंटन दो साल पुराना हें तहसीलदार साहब को रिर्पोट करे तब उसी दिन तहसीलदार द्वारा उक्त नामान्तरकरण पर यह लिखते हुए रिकार्ड व मौका सीएडी के रिर्पोट व पुष्टि के अभाव में नामान्तरकरण खारिज किया गया। जबकि तहसील को पुख्ता आवंटन की पुष्टि प्राप्त करने का कोई अधिकार नही हैं। और ना ही सीएडी रिर्पोट की आवश्यकता हैं। उक्त आवंटन आवंटन अधिकारी द्वारा पूर्ण जांच बाद पुख्ता आवंटन स्वीकृत किया गया था जिसे तहसीलदार को नामांतरकरण स्वीकार करना था। परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वार एक वर्ष बाद मेला फाईड इन्टेशन से नामांतरकरण अस्वीकार कर दिया वह आदेश हर प्रकार से निरस्त योग्य हैं। जिसे निरस्त करावें।

4 एक वर्ष बाद जब अपीलांट का नामांतरकरण स्वीकृत नही किया गया तब जब आवेदन पत्र दिया गया उस पर पुष्टि व सीएडी रिर्पोट देने का आदेश दिया हैं व उसी दिन उक्त नामांतरकरण निरस्त भी कर देते हैं। जबकि वास्तव मे यह आदेश दिनांक 13–06–2017 को जारी नही किया गया बल्कि दिनांक 22–02–2018 को पटवारी हल्का द्वारा वर्तमान तहसीलदार के समक्ष पेश करने पर निवर्तमान तहसीलदार ईशरराम मेघवाल अपना पुराना रिकार्ड ठीक करने तहसील मे आये थें तब उन्हें बताया कि आपने डेढ साल से उक्त नामांतरकरण पर कोई आदेश पारित नही किया तब उक्त नामांतरकरण पुरानी तारीख कैम्प की 13–06–2017 को खारिज कर दिया बल्कि एक दिन में रिर्पोट मंगवाने के आदेश देने के बाद खारिज का आदेश नही हो सकता। यह तो नामांतरकरण से स्पष्ट हैं जो गिरदावर व निवर्तमान तहसीलदार के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का आदेश फरमावें।

5 जब अपीलांट दिनांक 22–02–2018 को पटवारी हलका के पास अपने नामांतरकरण के बारे मे पता करने गया तब बताया कि आप नकल कल लेना तब दिनांक 23–02–2018 को नकल देकर देखा तब पता चला कि जैर अपील नामांतरकरण 8 माह पूर्व का खारिज बताया गया है। तब गांव आकर दिनांक 26–02–2018 को बीकानेर आकर उक्त नामांतरकरण की अपील सर्वप्रथम जानकारी 23–02–2018 से अंदर मियाद प्रस्तुत की गई। अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि नामांतरकरण सं0 1701 ग्राम गिरांधी निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट के नाम पुख्ता आवंटन का नामांतरकरण दर्ज करने आदेश फरमावें।

6 हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है तथा सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर निर्णय देते हैं कि इस बाबत रेस्पोडेन्टान द्वारा कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश नही किया गया हैं तथा पत्रावली पर अन्य कोई तथ्य ऐसा प्रस्तुत नही हुआ है जिससे यह स्पष्ट हो कि अपीलान्ट को अपीलाधीन नामान्तरणकरण के सम्बन्ध मे जानकारी रही हो । अतः अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील अंदर मियाद शुमार की जाती हैं। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता अपील सुनी गई एवं अपीलार्थी की ओर से अपील मीमो में दर्शाये गये तथ्यों को दोहराया गया। अपीलाधीन नामान्तरणकरण स0 1701 दिनांक 02–07–2016 को पटवारी द्वारा दर्ज किया गया जिस पर दिनांक 14–07–2016 को गिरदावर द्वारा जांच की गई उक्त नामान्तरणकरण इसके पश्चात् अनिर्णित रहा पटवारी द्वारा पुन : दिनांक 13–06–2017 को उसे पेश किया गया जिस पर निरिक्षक हल्का द्वारा दिनांक 13–06–2017 को टिप्पणी अकिंत की गई कि तत्पश्चात् तहसीलदार द्वारा दिनांक 13–06–2017 को निर्णय पारित किया गया कि उक्त निर्णय से पूर्व रिर्पोट निरीक्षक की टिप्पणी अनुसार सी0ए0डी0 से रिर्पोट लेने या आवंटन के सम्बन्ध मे पुष्टि की कोई कार्यावाही की गई हो स्पष्ट नही होती है।

7 अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित नामान्तरणकरण स0 1701 दिनांक 13–06–2017 आदेश त्रुटिपूर्ण होने पर खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण मे आवंटन सम्बन्धी तथ्यो की जांच कर निर्णय पारित करे । अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय प्रति पालनार्थ प्रेषित हो ।

निर्णय आज दिनांक 02–04–2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(एच0 गौरी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर